न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00312 (65/2011) 223 आरटीएक्ट

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र सौदागर सिंह जाति रायसिख निवासी चक 19 पीबीएन अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र
   - 2/1 कलवन्त कौर पत्नी
   - 2/2 अनिता रानी पुत्री
   - 2/3 बुधप्रकाश सिंह पुत्र
   - 2/4 इन्द्रजीत सिह पुत्र.
   - 2/5 चरणजीत कौर पुत्री
   - 2/6 अमरजीत सिंह पुत्री

   } गुरजिन्न्द्र सिह जाति रायसिख निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. भुपेन्द्र सिंह पुत्र
4. सुरेन्द्रकौर पुत्री
5. महेन्द्र कौर पुत्री
6. शीला बाई पुत्री
7. कुलदीप कोर पुत्री

} सौदागर सिंह जाति रायसिख निवासी चक 19 पीबीएन अमरपुरा राठान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति रायसिख निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। (फौत)
   - 1/1 सुमित्रा बाई पत्नी करतार सिंह
   - 1/2 सतपाल सिंह पुत्र करतार सिंह
   - 1/3 सतनाम सिंह पुत्र करतार सिंह

   } ... निवासी चक 19 पीबीएन ... पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1/4 कृष्णाबाई पुत्री करतार सिंह पत्नी बचन सिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुर खेरी तहसील हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर।

1/5 दीपो बाई पुत्री करतार सिंह पत्नी सतपाल सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 14 राणीया तहसील राणीया जिला सिरसा

1/6 स्वर्ण कौर पुत्री करतारसिंह पत्नी सरजीत सिं हजाति रायसिख नि0 चक 4 एमडी जगतार सिंह की ढाणी तहसील अनूपगढ। — रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर, संगरिया दिनांक 29.03.2011 प्रकरण संख्या 57/2010 बअनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम करतार सिंह

श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री औमप्रकाश अरोड़ा अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक — 25.02.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा पेश किया कि उनके पिता सौदागर सिंह पुत्र. कर्मसिंह को पुनर्वास विभाग से अलौटशुदा भूमि है जिसकी किश्तें सौदागर सिंह द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी अधिकार के पर्चा खैतौनी में सौदागरसिंह के साथ करतारसिंह का नाम फर्जकारी करके जोड़ दिया इसलिए अपीलाण्ट ने घोषणात्मक डिक्री हेतु दावा पेश किया। अप्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र किया जिसमें कथन किया कि पूर्व में इसी भूमि का दावा पेश किया गया था जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है इसलिए वादीगण के वर्तमान दावा पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लागू होता है इसलिए वादीगण का दावा खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करके वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया है कि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू होते है। जबकि वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अप्रार्थी ने जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये थे उनपर कोई विवेचन नहीं किया। इस प्रकरण में अपीलाण्ट के न्यायिक दृष्टान्त क्यों लागू नहीं होते इसका कोई हवाला नहीं दिया गया है। रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त वहां लागू होता है जहां पूर्व दावा का निर्णय मैरिट पर किया गया हो। रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु तथ्य और विधि का मिश्रित बिन्दू है जिसका निर्णय तनकी बनाकर साक्ष्य लेकर किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 (1) पेज 633, आरआरटी 2009 (1) पेज 230,, आरआरटी 2009 (2) पेज 882, आरआरटी 2017 (2) पेज 864, व 1369, आरआरटी 2019 पेज 264, आरआरटी 2018–19 पेज 28, के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व भी एक वाद प्रस्तुत किया था जो खारिज हुआ जिसकी अपील भी खारिज हुई तथा पुनर्वास अधिकारी हनुमानगढ़ ने भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र इस संबंध में खारिज किया गया है जिसकी निगरानी भी ड्रॉप की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत विवादग्रस्त भूमि बाबत की उक्त भूमि सौदागर सिंह व करतार सिंह को ब0हि0ब0 आवंटन हुई थी जिसका आदेश भी पत्रावली में संलग्न है पर निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधि॰
हनुमानगढ़

किया जा चुका है अपील न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय किया जा चुका है तथा पुनर्वास अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में निर्णय किया जा चुका है। इसलिए पूर्ववती दावों व प्रार्थना–पत्र के निर्णय वादीगण पर प्रभावी हैं। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में राजष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है जिसका भी नियमन नहीं हुआ है तथा राजस्व न्यायालय को कस्टोडियन भूमि पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट/वादीगण उन्हीं तथ्यों के पर नया वाद नहीं ला सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायलय में अपीलाण्ट ने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था, जिसमें रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश करने पर विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया है कि पूर्व में इसी भूमि बाबत निर्णय होने पर उसी प्रकार का वाद पुनः वादीगण के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। पूर्व में राजस्व न्यायालय को कस्टोडिन भूमि की बाबत सुनवाई करने का अधिकार नहीं था परन्तु अब कस्टोडियन (डीपीआर) एक्ट समाप्त हो गया है और राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त हो गये हैं इसलिए वादीगण दावा पेश करने का अधिकारी है। पूर्व में दावा केवल क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर खारिज किया गया था ऐसी स्थिति में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त वर्तमान में लागू नहीं होता है। रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त वहां लागू होता है जहां पूर्व के दावे का निर्णय मैरिट पर किया गया हो। रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु तथ्य और विधि का मिश्रित बिन्दू है जिसका निर्णय तनकी बनाकर साक्ष्य लेकर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः आदेश 7 नियम 11 सी[illegible] किया जाना विधि सम्मत नही हैं। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2011 निरस्त किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को उपरोक्तानुसार साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैंसल शुमार हो, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 25.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

25/2/21

(करतारसिह पूनीया)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested